



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052025-263356
CG-DL-E-24052025-263356

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2253]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 23, 2025/ज्येष्ठ 2, 1947

No. 2253]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 23, 2025/JYAISTHA 2, 1947

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2025

का.आ. 2307(अ).—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खंड (ड) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यक्षीन और अगले आदेशों तक, बाजा बस्ती (गीगी गांव) पुचिगेको सर्किल के अंतर्गत दापोरिजो, ऊपरी सुबनसिरी जिला, अरुणाचल प्रदेश में 0.5 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत "समुचित सरकार" की शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेगा।

[फा. सं. 13014/01/2025-एलआरडी]

आर. आनंद, अपर सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**(Department of Land Resources)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd May, 2025

S.O. 2307(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), the Central Government hereby notifies that the Ministry of Defence shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the “appropriate Government” under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) and the rules made there under for acquisition of 0.5 acres of private land at Baja Basti (Gigi Village), Daporijo under Puchigeke Circle, Upper Subansiri District, Arunachal Pradesh.

[F. No. 13014/01/2025-LRD]

R. ANAND, Add. Secy.